दिनांक : .९.२०१९

प्रति,

मा. राज्यपाल,

आंध्र प्रदेश.

विषय : आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से हिन्दुओं के मंदिरों के संदर्भ में विविध प्रकार से हो रहे धार्मिक आक्रमणों के संबंध में उचित कार्रवाई करने के संदर्भ में .....

महोदय,

आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार सत्ता में आकर कुछ ही मास हुए हैं; किंतु सत्ता में आते ही उनके द्वारा हिन्दूविरोधी कार्रवाईयों का आरंभ हुआ है । वहां कई हिन्दूविरोधी कानून बनाए जा रहे हैं और खुलेआम ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ किया गया है । मंदिरों के धन को अन्य पंथियों में बांटा जा रहा है । मंदिरों की भूमियों का अवैधरूप से विक्रय किया जा रहा है, साथ ही मंदिरों के परिसर में अन्य पंथियों को व्यवसाय करने की अनुमति दी जा रही है ।

*** अत: हम इस संदर्भ में चल रही गतिविधियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ।**

१. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के पिता सैम्युयल राजशेखर रेड्डी एक कट्टर ईसाई थे । उन्होंने अपने कार्यकाल में खुलेआम ईसाई पंथ के प्रसार हेतु सत्ता का दुरुपयोग किया था, उदा. उन्होंने तिरुमला तिरुपति के कुछ टीले ईसाईयों को दे दिए । तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने का ठेका ईसाई व्यक्ति को दिया, ईसाई व्यक्ति को देवस्थान का न्यास नियुक्त किया तथा तिरुपति देवस्थान द्वारा संचालित विद्यालयों में लगाए गए हिन्दू देवताओं के चित्रों को हटाकर ईसा मसीह के चित्र लगा दिए गए इत्यादि । इन सभी घटनाओं के कारण उस समय हिन्दुओं में तीव्र असंतोष था । सैम्युअल राजशेखर रेड्डी के पुत्र जगनमोहन रेड्डी भी अब अपने पिता के ही पथपर चलकर हिन्दूविरोधी कार्य कर रहे हैं ।

२. आंध्र प्रदेश के ईसाई मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने २५ लाख लोगों के लिए घर बनाने की योजना की घोषणा की थी और उसके लिए मंदिरों की भूमि को कुछ वर्षों के लिए किराए पर (लीज पर) मांगा था । उसके लिए उन्होंने प्रशासन को नोटिस जारी कर प्रत्येक जिले में

स्थित मंदिरों की भूमि की जानकारी लेने के निर्देष दिए थे । अब इस संदर्भ में मुख्य सचिव के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को नोटिस भेजा गया है । वास्तव में सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों की भूमि का उपयोग करना अनुचित है, यह आदेश हैदराबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष २००६ में दिया था । ऐसा होते हुए भी नियमों को ताकपर बिठाकर मंदिरों की भूमि का अधिग्रहण करना अनुचित है ।

हिन्दू जनजागृति समिति ने राज्य शासन को पत्र लिखकर जब इसका ध्यान दिलाया, तब प्रशासनिक अधिकारियों ने ३० ऑगस्ट २०१९ को यह सुधारित आदेश निकाला कि घर और व्यावसायिक दुकानों के निर्माण के लिए हिन्दू मंदिरों की स्वामित्ववाली भूमि का बलपूर्वक अधिग्रहण न किया जाए । तो इसमें ईसाई मुख्यमंत्री रेड्डी ने चर्च अथवा मस्जिदों की भूमि को किराए पर लेने का आदेश क्यों नहीं दिया ? इससे उनका हिन्दूद्वेष दिखाई देता है !

३. आंध्र प्रदेश सडक परिवहन महामंडल ने (आंध्र प्रदेश रोड ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन ने) तिरुमला जाने के लिए दिए जानेवाले बस टिकट के पीछे हज और यरुशलेम का विज्ञापन छापा था । यह विज्ञापन सरकार की अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छापा गया था । इस प्रकरण में स्थानीय हिन्दुत्वनिष्ठों द्वारा इसका विरोध किए जाने के पश्चात इन टिकटों को रद्द किया गया, साथ ही इस प्रकार के विज्ञापन छापे गए टिकटों का वितरण कैसे हुआ ?, इसकी जांच के आदेश अब सरकार ने दिए हैं । महत्त्वपूर्ण बात यह कि तिरुमला क्षेत्र में अन्य पंथियों के प्रचार हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति न होते हुए भी बस टिकट पर अन्य पंथियों के प्रार्थनास्थलों के विज्ञापन छापना, यह अपराध करने जैसा ही है ।

४. आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री तिरुमला देवस्थान के कर्मचारियों को ‘जिन कर्मचारियों ने हिन्दू धर्म त्यागकर अन्य धर्म स्वीकार किया है, वे अपनी नौकरी छोड दें’, यह आदेश दिया है ।

तिरुपति देवस्थान में कुल ४८ अहिंदू अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं । इससे यह दिखाई देता है कि मंदिर सरकारीकरण किए जाने के पश्चात वहां के मंदिरों में अहिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति की गई हैं । इससे हिन्दुओं के मंदिरों की पवित्रता कैसे टिक पाएगी ? क्या ऐसा कभी सुना है कि सरकार ने अन्य पंथियों के प्रार्थनस्थलों में हिन्दुओं की नियुक्ति की हो? यदि तिरुमला देवस्थान में इस प्रकार से अहिंदू कर्मचारियों की नियुक्ति की गई हैं, तो उस राज्य के सरकारीकरण किए गए अन्य मंदिरों में भी सरकार को उक्त आदेश का क्रियान्वयन करना चाहिए ।

५. आंध्र प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के सचिव ने २७ अगस्त को निकाले गए एक आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के वाई.एस.आर. कांग्रेस के घोषणापत्र में राज्य के चर्चों के पादरियों को प्रतिमाह ५ सहस्र रुपये मानदेय देने का आश्वासन दिया गया है । इस प्रकार पादरियों को गौरवधन देकर सरकार संविधान तथा उसमें विद्यमान समानता इन दोनों सूत्रों का उल्लंघन कर रही है ।

समाज के सभी घटकों को सभी सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए । धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, भाषा आदिपर आधारित सुविधाएं देना भेदभाव करने जैसा ही होगा । लोकतांत्रिक मार्ग से चलनेवाले हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को अपनाया है । इस शब्द से ही हमारी व्यवस्था किसी भी प्रकार की धार्मिक विचारधारा पर आधारित नहीं है; किंतु ऐसा होते हुए भी आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में कई निर्णय किसी विशिष्ट धर्म के लिए सुविधाजनक हों, इस दृष्टि से लिए जाते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत अनुचित है ।

६. ऐसे निर्णय के कारण देश के संवैधानिक ढांचे को बाधा तो पहुंचती ही है, साथ ही हिन्दुओं के मन में भी 'राज्यकर्ता केवल अन्य धर्मियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं; तथा हिन्दुओं के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं', ऐसा नकारात्मक संदेश जाता है । यह देश की एकता की दृष्टि से भी चिंता का विषय है ।

*** अत: हम इस संदर्भ में निम्नांकित मांगें कर रहे हैं .....**

१. आंध्र प्रदेश में कितने अहिन्दू कितनी कालावधि से काम करते हैं ?, उन्हें इतने दिनोंतक कामपर क्यों रखा गया ?, साथ ही जिन्होंने अभीतक यह निर्णय लिया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ।

२. धर्मांतरित ईसाई लोगों को तिरुपति देवस्थान में नौकरी देने का निर्णय लेनेवाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है । उसी प्रकार वे प्रत्येक कर्मचारी हिन्दू है अथवा नहीं, इसकी जांच कर ही उसे कामपर रखा जाए । अन्य मंदिरों में भी ऐसा हुआ हो, तो वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए ।

३. हिन्दुओं के मंदिरों की भूमि का अधिग्रहण कर उसपर गृहनिर्माण परियोजना बनाने का निर्णय तुरंत रद किया जाए, साथ ही हैदराबाद उच्च न्यायालय के आदेश के होते हुए भी नियमों को ताकपर बिठाकर मंदिरों की भूमि के अधिग्रहण का निर्णय करनेवाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए ।

४. आंध्र प्रदेश में ईसाई मुख्यमंत्री होने के कारण हिन्दुओं के मंदिरों की अर्पणपेटियों को लूटने के साथ ही मंदिरों की भूमि हडपने की घटनाएं हो रही हैं । अतः उक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वहां के जगनमोहन रेड्डी सरकार को सत्ता से हटाया जाएं ।

प्रतियां : आपका विश्वसनीय,

१. मा. प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदीजी,
भारत सरकार, नई देहली

२. मा. केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहाजी,
भारत सरकार, नई देहली. संपर्क :